

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.03.2023

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया, नौशादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन /अवैध अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त/अभियुक्ता 01. रामवृक्ष 02. रामविलास व 03. छिनका को उनके घर ग्राम महुआडीह से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपियों में कुल 12.50 ली० अपमिश्रित अवैध शराब मय 500 किलोग्राम यूरिया व 300 ग्राम नौशादर बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को०मनकापुर में आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्त-

- 01- रामवृक्ष पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोंडा
- 02- श्रीमती झिनका पत्नी रामवृक्ष सोनकर निवासिनी ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोंडा
- 03- रामविलास पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-134/2023 धारा 60,60(2) आबकारी अधि० व 272 भा०द०वि० थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. प्लास्टिक की पिपियों में कुल 12.5 ली० अपमिश्रित अवैध शराब
02. 500 किलो ग्राम यूरिया
03. 300 ग्राम नौशादर बरामद।
04. शराब बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० संजीव चौहान मय टीम थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पिन्टू उर्फ राजेश नाई पुत्र रामू निवासी ग्राम हरदयाल पुरवा बनगांव थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 123/2023, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पाटनदीन पुत्र रामफेर निवासी ग्राम करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 122/2023, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुनील कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा निवासी ग्राम बभनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 59/2023, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पूजाराम राजभर पुत्र रामहरख निवासी परासखाल (पूरे मुसद्दी) थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 102/2023, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।